

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA**

**IN THE MATTER OF:
ORIGINAL APPLICATION NO. 60/2024/EZ
(Earlier O.A No. 157/2024/PB)**

**IN RE: News item titled “Jamshedpur Border Area Mining Department Action:
Kapali k Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag Ka Chhapa, Balu Lade Tractor
Samet Anya Saman Zapt” appearing in the Sharp Bharat dated 09.01.2024
... Applicant**

**-Versus-
Jharkhand Pollution Control Board & Ors.**

... Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed on behalf of Deputy Commissioner, Seraikella, Kharswan, Government of Jharkhand.	1 - 4
2.	Verification	4
2.	Annexure A	5 - 33

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE
BENCH AT KOLKATA



Seo No. 11370 / m
DP. 26.07.24

Original Application No. 60/2024/EZ

(Earlier OA No. 157/2024/PB)

News Item titled "Jamshedpur Border Area Mining Department
Action: Kapali Ke Gouri Balu Ghat Par Khanan Vibhag Ka Chhapa, Balu
Lade Tractor Samet Anya Saman Zapt" appearing in Sharp Bharat
dated: 9.1.2024 Applicant(S)

Versus

Jharkhand Pollution Control Board & others Respondents

_____ COUNTER AFFIDAVIT filed on behalf of the
District Magistrate Seraikela/Respondent/Respondent(s) in
compliance with order dated 14.05.2024 of the Hon'ble NGT
Kolkata.



In course of hearing, on 14.5.2024 the Hon'ble NGT has been
pleased to pass order directing the District magistrate Seraikela
for disclosure of, in addition to stating what action taken against

Handwritten initials

Identified by me
Subash Jyoti
Advocate Seraikela 26-7-2024

the violators; whether Environmental compensation has been computed against the violators and action for recovery of the same been taken as per law.

I, RAVI SHANKAR SHUKLA son of LATE R. S. SHUKLA presently posted as D.C. at District Seraikela-Kharswan does hereby solemnly affirm and state as follows.

1. That I am duly authorized to sign this affidavit for other respondents as stated above.
2. That at present I am working and posted as D.C. and as such I am well acquainted with all the fact and circumstances of this case.
3. That I have read the contents to the O.A. and conversant with fact and circumstances of the case.
4. That I have gone through the order dated 14.5.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, at Kolkata and has understood the contents therein.
5. That I am duly authorised to swear this affidavit, further it is stated and submitted that I have gone through the relevant files and records in the present case.



we
sp

Identified by me -
Debashish Jyoti
26.7.2024
Advocate Seraikela

6. That it is humbly stated and submitted that as per information dated 18.7.2024 of the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Adityapur, Jamshedpur there is report of Central board, "Report of the CPCB in house Committee on methodology for assessing environmental compensation and action plan for utilization of Fund, to calculate such environmental compensation to be levied upon the industrial units" as per direction of the Hon'ble NGT but the methodology does not contain any provision for calculation on illegal sand mining by individuals. It is stated and submitted that, after institution of FIRs, prosecution cases with respect to vehicles, tools implements, incriminating materials/articles involved in individual cases, while compounding the cases, compounding penal amount is recovered under section 54(5) of the Jharkhand Minor Mineral Rules 2004.



(Copies of the letter dated 18.07.2024 of Regional Officer, JSPCB, letter

_____ of the office of the

Identified by me

De

Advocate Seraikela

26.7.2024



O Seraikela regarding recovery
compounding penal amount filed herewith
as Annexure A.....)

7. That this [redacted] Counter Affidavit is filed bona fide and in the interest of justice.
8. That the statement made in the foregoing paragraphs 2 to 6 are true to my knowledge, the Annexure filed, being true copies of the originals.
9. That I have gone through the statement of fact and understood the same to be correct.
10. That the answering respondents by leave of the Hon'ble court intend to file additional statement if so required.

✓
उपायुक्त
Deponent खरसावाँ

Drafted by:

De

Debasish Jyotishi, Advocate, Seraikela.



I/We Ravi Shankar Shukla D.C. Seraikela - Kharsawan
is Identified by Debasish Jyotishi (G.O.P) Seraikela - Kharsawan
Adv. Seraikela
Date 26.7.24 at Seraikela 3:40 AM/PM
solemnly affirmed before me

Identified by me
De
Advocate Seraikella
26.7.2024

N. Mahapatra
N. MAHAPATRA
NOTARY
Seraikella-Kharsawan

26/7/24

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REGIONAL OFFICE-CUM-LABORATORY, MB/15 NEW HOUSING COLONY
ADITYAPUR, JAMSHEDPUR.
Web Site- jspcb.org/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

By-Email

Hon'ble NGT matter - Time Bound (Urgent)

Ref No

Dated-

From

R.P. Kumar
Regional Officer.

To

Deputy Commissioner,
Saraikela -Kharsawan

Sub: -

Compliance of the Hon'ble NGT, Eastern Zone Bench, Kolkata direction issued vide order Dated: 14/05/2024 in O.A. No. 60/2024/ EZ- Regarding.

Ref:-

Your Memo no. 532/ Vidhi Dated:25.06.2024

Sir,

With reference to the subject noted above and above-mentioned letter compliance report has been asked for direction issued by Hon'ble NGT in its order Dated: 14/05/2024 in the matter of O.A. No. 60/2024/ EZ)

In this regard it is to bring your kind attention towards the fact that the CPCB has prepared "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" to calculate Environmental Compensation to be levied upon the industrial Units as per the direction of Hon'ble National Green Tribunal (NGT). In the light of above it is to bring your kind attention towards the fact that the Methodology does not contain any provision for calculation of Environmental Compensation on illegal Sand mining by individuals.

Therefore, it is requested to take necessary action as per law.

Yours faithfully,

s/d

(R. P. Kumar)

Regional officer, Jamshedpur

Memo No.- 795

Jamshedpur, Dated 18/7/2024

Copy to :- District Mining Officer, Saraikela Kharsawan for information and necessary action

[Signature]
(R. P. Kumar) 18/07/24
Regional officer

सेना में,

धाना प्रभार
नीमपीठ धाना।

विषय - प्रयोगिकी दर्जा फॉर्म के खंड 6 में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में रक्षा हैडि क्वार्टर (मिनीपीठ)
मिनीपीठ के फॉर्म 462 दिनांक 28/06/2024 के दायरे दिखे गये
सूचना के आलोक में सात दिनांक 28/06/2024 के समय लगभग
6:15 P.M. में नीमपीठ क्वार्टर-धरमगिरि मौजा आदरपीठ के

Location - 1 Lat 23° 1' 44" N Long 86° 9' 22" E एवं
Location - 2 Lat 23° 0' 47" N Long 86° 8' 25" E में निरोधण
किया गया। निरोधण के दौरान दोनो जगह में लगभग 5700-5700

आमल सौ (Hermetite, size - 10-40 mm) पाया गया। स्थल पर
कैड की आदमी नष्ट रहने के कारण से संबंधित आमल सौ के
बाधजन्य का मोटा करना संभव नहीं हो पाया। 31 mm's Portal
के डाटा के संबंध में स्थल पर कैड की निवेदन

Declar Licence जिला धरमगिरि, सुपारनेला-उदरपीठ
सादा निर्मित नहीं किया गया है। यह उचित होता है कि उक्त आमल
सौ को सर्वेक्षक रूप से गणना किया गया है। जो The Jharkhand
Mines (prevention of illegal mining transportation & sale)
Rule - 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा The Mines Act 1957
(As amended) का विधेय 21(4) का उल्लंघन है।

ध्यान: अद्योक्त हैडि के सुनिश्चितालयकर्ता, मंत्र के अधिकारी
(अंगरस फॉर्म 462), नीमपीठ के फॉर्म 462 दिनांक 28/06/2024 के अद्योक्त
कार्रिवों के निरुद्ध उद्योक्त निर्मित सादा के अद्योक्त प्रयोगिकी दर्जा
दाने की कृपा की जाय।

निष्ठागणन

Sunil K. Ojha
28/06/2024
सुनिश्चितालयकर्ता, (अंगरस फॉर्म)
फॉर्म नं-74558/096572
जिला धरमगिरि, सुपारनेला-धरम



:: जव्ती सूची ::

जव्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- Saurir Kumar Ojha (Mining Inspector)

जव्त किये गए खनिज का ब्यौरा :- 1. 5 Ton of Iron Ore (Hematite), Size = 10-40mm

जव्त किये गये अन्य उपकरण एवं सामग्री का ब्यौरा :- 2. 5 Ton of Iron Ore (Hematite), Size = 10-40mm
3. 4 Samples (Four)

जव्ती की तिथि एवं समय :- 28/06/2024, 6:15 PM

1. $23^{\circ} 1' 44'' N$, $86^{\circ} 9' 22'' E$

जव्ती का स्थान :- 2. $23^{\circ} 0' 47'' N$, $86^{\circ} 8' 39'' E$

भण्डारण स्थल का ब्यौरा :-

(क) थाना :- NIMDIH P.S.

(ख) मौजा :- ADARDIH

(ग) खाता संख्या :- 1. 296

2. 407

(घ) प्लॉट नम्बर :- 1. 1123/1124/1124

घातों के नाम एवं हस्ताक्षर — 1. Jyoti Sankar Salapathra 2. 1606

जिसके समक्ष जव्त किया गया है :- 2. Abhishek Kumar

जाना उभारी, निम्नस्थान जाना

Abhis
28/06/24

अन्यान्य :-

Saurir Kr. Ojha
28/06/2024
प्रस्तुत जव्त करने वाले पदाधिकारी ।

सेवा में,

थाना प्रभारी,

ईचागढ़।

विषय:-

प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

नहाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल के निदेशानुसार दिनांक-03.05.2024 को समय लगभग 03:00 बजे अपराह्न से शाम 07:00 बजे तक ईचागढ़ एवं कुफडू थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बालू घाटों का निरीक्षण जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईचागढ़-सह-कुफडू, राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक, ईचागढ़, ईचागढ़ थाना के पुलिस बल एवं अद्योहस्ताक्षरी के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कहीं भी बालू का अवैध उत्खनन/परिवहन होते हुए नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सभा हाड़ात चालान/रसीद, राजस्व ग्राम हाड़ात थाना नं०-58 पो०-साँड़ो, थाना-ईचागढ़, अंचल-ईचागढ़ जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) पिन-832463 अध्यक्ष सार्वजनिक (प्राकृतिक) सम्पदा प्रबंधन समिति में गोलक बिहारी सिंह मुण्डा, ग्राम प्रधान मो० नं०-8603939556 में बुधु सिंह मुण्डा के द्वारा हस्ताक्षर युक्त है (छाया प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि संलग्न रसीद की सत्यता की जाँच करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

Received
D.K. Sharma
4.5.24
A.S.I
9 Chhargh P.S.

Deepak
4/5/24
(दीपक प्रसाद)
अंचल अधिकारी
ईचागढ़।

पता-अंचल कार्यालय ईचागढ़।
आधार नं०-353376340069
फोन नं०-9654314376

सेवा में,

रामा उपाधी
इलाहाबाद जिला।

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

गणेश, उपरोक्त विषय के संबंध में बताना है कि आज दिनांक 05/05/2024 को सुबह लगभग 2.00 बजे से 2.30 बजे तक मांसा सेवे (जिला स्तर) के तहत का मांस निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी दाय किया गया। निरीक्षण के दौरान उप बाधू (सती हस्त) को पाना उपाधी, इलाहाबाद जिला के अदालत भिजा गया। जहां जल्द किना केंद्र अदालत संचालित।
Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule 2017 के अंतर्गत
7 एवं 13 तथा भारतीय लेख रक्षित समझौता विनियम 2004 (न्यायव्यवस्था)
के अंतर्गत 4 एवं 54 का उल्लंघन है।

अतः अज्ञेय के मांस लेख रक्षित समझौता विनियम 2004 (न्यायव्यवस्था) के अंतर्गत 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule 2017 के अंतर्गत 7 एवं 13 तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत अज्ञेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर्ता सुनिश्चित करें।
संकेतः - जल्दी हकी।

विश्वासराज
05.05.2024

(ज्योति शंकर सातपथी)
जिला सनन पदाधिकारी,
सरायकेला - खरसावा
उम्र - 42
Phone No - 328242379210

Received Pandey
05-05-24
ole
S. Chugh

जन्मी सुची :

जन्म करणे वॉल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : ज्योति शिंदे, शासनाधीन
जन्म तिथि एवं स्थान का ज्ञान : 11/05/2004 (11/05/2004) सूर्यकेला-सूर्यसप्त
जन्म तिथि पर अन्य प्रमाण एवं सापत्नी का ज्ञान :
जन्म तिथि पर अन्य प्रमाण : 05/05/2004 कागज नमूना नं. 2.30 वन

जन्म का स्थान : सुरी, महाराष्ट्र

प्राप्ति का स्थान का ज्ञान :

- (क) धाना :- सुरीगाँव
- (ख) भोज :- खोडा (जो खोपीर)
- (ग) याता संख्या :- 11111111 (Geo Co-ordinate Attached)
- (घ) प्लॉट नम्बर :- 11111111

जन्मी के नाम एवं पदाधिकारी
जन्म के समक्ष जन्म तिथि पर ज्ञान :-

① Shinde
05/05/2004

② Abhimata Stanley

Shinde
05.05.2004

प्रस्तुत / जन्म करने वाले पदाधिकारी ।

सेवा में,

थाना प्रगरी
ईचागढ़ थाना

विषय- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में साक्षर पूर्वक बताया है, कि आज दिनांक- 03/04/2024 से अपराहन 8:35 वजे उपर्युक्त थाना प्रगरी- खरसावाँ के प्रतांक- 538/गौ, दिनांक- 27.03.2024 के द्वारा प्राप्त निवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डल के अध्यक्षता में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अधोस्तहरी के साथ संयुक्त रूप से मौजा- गोरंग सेवा में कब्रस्थान के काल में लगभग 3200 SFT³ का बालू गणारण पाया गया। अवैध बालू गणारण स्थल पर किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों से हीं पाया गया। अवैध बालू को जफ्त कर थाना प्रगरी, ईचागढ़ थाना से सूत्रार्थ जमा किया गया। सारवण समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 54(अ) के तहत जफ्त बालू को थाना प्रगरी, ईचागढ़ से सुरक्षित किया गया। अवैध खनन परिवहन/गणारण कुर्तियों के विरुद्ध सारवण समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 4 एवं 54 का उल्लंघन है, The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining & Storage Rule 2017 के नियम 9 का भी उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है, कि अज्ञात गणारण कुर्तियों के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं/नियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें।


 03.04.2024
 ज्योति शंकर शतपथी
 जिला खनन पदाधिकारी
 थाना प्रगरी- खरसावाँ
 उम्र - 41
 पता- जिला खनन कार्यालय
 थाना प्रगरी- खरसावाँ
 आयात नं- 3282 प 2979 210

जवन पत्रो

- ① प्रसंग :- जिला दण्डाधिकारी - एड - उपायुक्त कारागार, सरायकेला-खरसावां नैराश्रित कारागार 538/एड/दि. 27/4
- ② निर्दिष्ट लेख :- जौडा-जोरागंज 03/04/24 एड 9-000
- ③ खाने वहाँ जद्व किया गया - जौडा, जोरागंज
- ④ जद्व का नोट लिखें फटा
नैराश्रित कारागार, जौडा, जोरागंज
- (i) राजकीय नोट, जिला एड कारागार, सरायकेला-खरसावां
- (ii) जद्व किया गया वस्तु का विवरण :- एड नोट लिखें एड/दि. 27/4
मैत्रा 200000 एड
- ⑤ जद्व का एड लिखें
V. P. Singh
03/04/24 TC
- (i) जौडा, जोरागंज
- (ii) जौडा, जोरागंज
- ⑥ जद्व के बारे में फटाधिकारी को नोट लिखें फटा


 03.04.2024
 जौडा-जोरागंज कारागार
 जिला एड कारागार
 सरायकेला-खरसावां

जल्दी सूची

- ① प्रयाग जिला पहाड़िचकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय आदेश
क्रमांक- 538/गो, दिनांक- 27/03/2024
- ② तिथि एवं समय - 03/04/2024, समय- 8:35 pm लगभग
- ③ स्थान जहाँ जल किया गया - मौजा- गोरंगकोटा (कत्रीस्थान डे)
बगल
- ④ जवाह का नाम एवं पता-
 (i) दीपक कुमार शर्मा/091111 ई 20116
 (ii) विक्रमादित्य पाण्डेय, भाना उमरी, ईचागढ़
- ⑤ जल किया गया वस्तु का विवरण - बालू लघु खनिज
- ⑥ जवाहों का हस्ताक्षर जिनके सामने जल किया गया
 (i) दीपक कुमार
 (ii) विक्रमादित्य
 03-04-2024
 08:35 PM
- ⑦ जल करने वाले पहाड़िचकारी का नाम एवं हस्ताक्षर


 03-04-2024
 श्री अनांद शतपथी
 जिला खनिज पहाड़िचकारी, बराबकेला
 बरमावों

सेवा में,

श्रीमान ओ०पी० प्रभारी,
कपाली ओ०पी०।

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को पूवाहन् लगभग 10:30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के आदेश ज्ञापांक 325/विधि, दिनांक - 02.04.2024 के आलोक में O.A. No - 19/2024/EZ (Earlier O.A. 727/2023/PB) in : News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF & CC के द्वारा प्राधिकृत बैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्षद के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शामिल है। गठित टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल, अनुमण्डल पुलिस, पदाधिकारी चाण्डिल, ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० एवं अद्योहस्ताक्षरी भी शामिल थे। गौरी बालू घाट के नदी तट पर Latitude-22°50'12" N, Longitude-86°8'4" E में विभिन्न जगहों पर लगभग 10,000 Cu बालू का अवैध भंडारण पाया गया। भण्डारित बालू को जप्त कर सर्वसहमति से ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० को सुपूर्द कर दिया गया (जबकी सूची संलग्न)। JIMMS Portal के अनुसार उक्त स्थल पर किसी संस्थान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है। पुछताछ के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों द्वारा अपने पालन पोषण के लिए पानी से डुबडुब कर वेलचा के माध्यम से बालू निकाल कर ड्राम से वनाए गये डोंगा से किनारे लाकर बालू का बेचा जाता है। स्थल पर चार नाव भी मिला जिससे Destroy (विनिष्ट) कर दिया गया। जिस रास्ते में बालू का ढुलाई होता है। वहाँ दो रास्तों में Trench बना दिया गया है। भंडारण बालू के संबंध में स्थानीय लोगों से पुछताछ करने पर बताया गया कि अवैध बालू का भंडारण किसके द्वारा किया गया है पता नहीं है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अज्ञात
Registered chandil (Kopali) P.S. Case no. 84124 dt- 09.04.24 U/S - 4141PC and 4154 J.M.M.C. Rules 2004 and 7113 Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining-Transportation and storage) Rule - 2017 SE Hiratal munda will pls investigate this case.
18/04/2024
of Chandil
P.S.

(अज्ञात कुमार)
अचल अधिकारी,
चाण्डिल।
पता - अंचल कार्यालय, चाण्डिल।
आधार नम्बर - 7513 8345 4459
Phone No. 9471728344

Forwarded to O.C. Chandil P.S. For investigation a case u/s 4141 PC & 4154 J.M.M.C. Rules 2004 and 7113 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining-Transportation & Storage Rule-2017) S.I. Hiratal munda will pls investigate this case.

09-04-24
of Chandil
Kopali P.S.

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,

जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 724...../एम०, दिनांक 18/07/2024...

पत्रांक

जिला खनन प्रदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54. The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7, 9 & 13 तथा MMDR Act 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत शिकायतवाद दायर करने के संबंध में ।

संदर्भ


उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक सूचित करना है कि अंचल अधिकारी, ईचागढ़ पत्रांक 680 दिनांक 16/07/2024 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक 21/गो०, चाण्डिल, दिनांक 16/07/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 15/07/2024 को ईचागढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-गौरांगकोचा के हाई स्कूल के समीप एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मारा गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया है । ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर से भाग गया जिसके बाद उक्त अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को अंचल अधिकारी, ईचागढ़ के द्वारा ईचागढ़ थाना को सुपुर्द कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न) ।

बालू एक लघु खनिज के श्रेणी में आता है एवं सरकारी संपत्ति है । बालू लघु खनिज को चोरी सरकारी संपत्ति की चोरी है, जिससे राज्य के राजस्व की क्षति हो रहा है । अवैधकर्ताओं के द्वारा उपरोक्त किये जा रहे खनन कार्य झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54. The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7, & 13 तथा MMDR Act 1957 की धारा 21(4) के तहत गैर कानूनी एवं अवैध अपराध है ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54. The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7, 9 & 13 तथा MMDR Act 1957 (यथा संशोधित) की धारा 21(4) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत जप्त वाहन के मालिक एवं वाहन के चालक के विरुद्ध शिकायतवाद दायर करने तथा बालू लदे हुए ट्रैक्टर को गिरावट करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- 1. पत्र की प्रति ।
2. जर्की सूची ।

विश्वासभाषी


जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।


Page 1 of 1

अंचल अधिकारी का कार्यालय, ईचागढ़।

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
ईचागढ़।

पत्रांक:- 680

दिनांक:- 16-07-24

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

विषय:- अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-15.07.2024 समय 08:40 बजे पूर्वाह्न में ग्राम-गौरांगकोचा, ईचागढ़ के हाई स्कूल के समीप एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर द्वारा एक मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति को सीधे टक्कर मारा गया जिससे उक्त व्यक्ति घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़ कर मोके से भाग गया। जिसके बाद उक्त अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा ईचागढ़ थाना को सुपूर्द करा दिया गया। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

1. सोनालिका ब्लू रंग डाला सहित ट्रैक्टर मॉडल नं0-DI-42RXHDMS3, इंजन नं0-5102FLU24J1229655F19, चेचिस सं0-KZYSJ1240061S3, जप्त किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के विरुद्ध Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

Spd
16/7/24
अंचल अधिकारी
ईचागढ़।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

Spd
16/7/24
अंचल अधिकारी
ईचागढ़।

जप्ती सूची

1. तिथि और समय :- 15.07.2024 , 08:40 A.M .
2. स्थान जहाँ जप्त किया गया :- ग्राम - सोरंगकोचा, ई-चांग 6 हाई स्कूल के परीप, जिला - समरकेस - उत्तर
3. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम:- दीपक प्रसाद, अंचल अधिकारी, ई-चांग 6
4. गवाह का नाम और पता :- (i) राहुल राज, लिपिक, अंचल कार्यालय, ई-चांग 6
(ii) शैलेंद्र राज राहुल, माउडप नि०, अंचल कार्यालय, ई-चांग 6
5. जप्त किया गया वस्तु का विवरण :-
सोनासिका लकड़ी का डाला सहित ट्रेलर नॉम्बर नं०-31-42RXHDM53
इंजन नं०-5102FLU24J1229655F19,
चेसिस नं०-KZYSSJ1240061S3
प्रत्येक लकड़ी का लकड़ी लम्बाई 100 सेंटीमीटर (100 CM)
6. गवाहों का हस्ताक्षर जिनके सामने जप्त किया गया :- (i) Rahul Raj
16/7/24
(ii) Shailendra Raj
16/7/24
R.S.I
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर :- Deepak Prasad
16/7/24

C.
7/6/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 5.8.1...../एम०, दिनांक 03/06/2024.

जिला खनन प्रदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :- झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54, The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7, 9 & 13 तथा MMDR Act 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत शिकायतवाद दायर करने के संबंध में ।

मलाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक सूचित करना है कि उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के निदेशानुसार दिनांक 31.05.2024 को लगभग 11:00 बजे रात से दिनांक 01.06.2024 बजे शुबह 6:00 बजे तक सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत ईचागढ़ अंचल के मौजा - बीरडीह के आस पास क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थलिय जाँच से ज्ञात हुआ कि डुमरा नदी एवं स्वर्णिखा नदी से बालू का अवैध उत्खनन के पश्चात् बीरडीह गाँव के आस-पास क्षेत्रों में बालू का भण्डारण कर हाईवा एवं अन्य वाहनों के माध्यम से अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान Latitude 23.915°N Longitude 85.5322° E, Latitude 23.916° N Longitude 85.5321° E, & Latitude 23.99° N Longitude 85.5331° E. में अवैध रूप से भण्डारित लगभग 2,48,000 Cft बालू जप्त किया गया, तदोरान्त बालू लदे वाहनों की जाँच के क्रम में निम्नलिखित कुल 08 (आठ) वाहनों क्रमशः हाईवा संख्या JH05AR - 3696, हाईवा संख्या JH05BY - 0196, हाईवा संख्या JH05AZ - 9416, हाईवा संख्या BR10GB - 2763, हाईवा संख्या JH09AP - 7863, हाईवा संख्या BR10W - 4624, हाईवा संख्या JH05DR - 0287, हाईवा संख्या JH05BJ - 7063, के चालाक द्वारा रात में अंधेरा का लाभ उठाकर बालू को जहाँ-तहाँ गिरा कर हाईवा वाहन को लेकर भाग गये (फोटो की प्रति संलग्न)। हाईवा संख्या JH05BK - 0764 (Latitude 23.15636° N Longitude 85.88851° E), हाईवा संख्या JH05AN - 0112 (Latitude 23.156566° N Longitude 85.88864° E), हाईवा संख्या JH05AA - 4982 (Latitude 23.156535° N Longitude 85.88862°), हाईवा संख्या JH05BE - 3453 (Latitude 23.156515° N Longitude 85.88865° E), हाईवा संख्या JH03W - 6708 (Latitude 23.150218° N Longitude 85.88835° E), हाईवा संख्या JH05BS - 2996 (Latitude 23.155145° N Longitude 85.88862° E), हाईवा संख्या JH24E - 0229 (Latitude 23.155876° N Longitude 85.887273° E), हाईवा संख्या JH05CM - 3836 (Latitude 23°156608" N Longitude 85°888546" E), हाईवा संख्या JH05B - 7940 (Latitude 23.1556116° N Longitude 85.88864° E), हाईवा संख्या JH05DS - 5752 (Latitude 23.15586° N Longitude 85.8886116° E), हाईवा संख्या JH05AK - 5982 (Latitude 23.1557866° N Longitude 85.8887616° E), हाईवा संख्या JH05CF - 0396 (Latitude 23.15555° N Longitude 85.88882° E), हाईवा संख्या JH05BY - 7811 (Latitude 23.1555916° N Longitude 85.888816° E), हाईवा संख्या JH02AU - 5505 (Latitude 23.1555919° N Longitude 85.888821° E), बालू लदा हाईवा संख्या JH05CC - 8238 (Latitude 23.155878° N Longitude 85.888795° E), बालू लदा हाईवा संख्या JH05CC - 0132 (Latitude 23.155873° N Longitude 85.888821° E), एवं एक

5/6/24

Page 1 of 2

B:DX - HARBDXNTJ02856844 (Latitude 23°155981" N Longitude 85°88585" E) (फोटोग्राफ संलग्न) को जप्त कर अंचल अधिकारी, ईचागढ़ को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया (प्रति संलग्न)।

रात के अंधेरे में ऐसी जगह जहाँ कोई रास्ता भी नहीं है तथा जहाँ बालू का अवैध भण्डारण एवं खनन का कार्य किया जा रहा है, उक्त क्षेत्र में जब्त किये गये तथा भागे हुए वाहनों को जमा हुए घे यह जाँच का विषय है। तथा खनन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस को देख कर भागने की कोशिश करना एक प्रश्नवाची सृष्टि करता है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सभी हाईवा के द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन हेतु उक्त वर्णित क्षेत्र में एकत्रित हुए थे।

कार्यालय अभिलेख एवं JIMMS Portal के अनुसार उक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा संस्थान के द्वारा विधिवत् अनुज्ञप्ति धारण नहीं किया जाता है, तथा उक्त क्षेत्र में कोई भी बालू घाट संचालित नहीं है। उक्त अवैध खनन एवं भण्डारण क्षेत्र में पाये गये टायर के निशानों से यह ज्ञात होता है कि अवैध कर्ताओं के द्वारा अवैध बालू उत्खनन/भण्डारण कर अवैध रूप से बिना परिवहन आन (Online Permit) के खनिज का प्रेषण किया जाता है (फोटोग्राफ संलग्न)। यहाँ यह उल्लेख करना है कि बालू के अवैध खनन होने से नदी के धारा के साथ-साथ नदी के दिशा परिवर्तन, एवं Flora एवं Fauna का भी नुकसान/प्रभावित होने की संभावना होता है। बालू एक लघु खनिज के श्रेणी में आता है एवं सरकारी संपत्ति है। बालू लघु खनिज की चोरी सरकारी संपत्ति की चोरी है, जिससे राज्य के राजस्व की क्षति हो रहा है। अवैधकर्ताओं के द्वारा उपरोक्त किये जा रहे खनन कार्य झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54, The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7, 9 & 13 तथा MMDR Act 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54, The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7, 9 & 13 तथा MMDR Act 1957 (यथा संशोधित) की धारा 4 एवं 21 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत उपरोक्त भाग गये वाहनों / जप्त वाहनों, वाहन के मालिकों, वाहन के चालकों एवं अवैध खनन में संलग्न सभी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतवाद दायर करने की कृपा की जाय।

- अनुलग्नक :-
1. जकी सूची।
 2. सुपुर्द किये गये पत्र की प्रति।
 3. फोटोग्राफ की प्रति। (7 Pgs)

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
 पत्रांक ..३३६.... /एम०, दिनांक ..२३/०४/२०२४..

प्रेषक,

जिला खनन प्रदाधिकारी
 सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
 व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।


महशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि थाना प्रभारी, कान्द्रा थाना के जापांक 394/2023 दिनांक 23.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 23.03.2024 को स०अ०नि० गिरिजेश शर्मा, साथ सस्त्र बल के थाना अन्तर्गत दिवा गश्ती के क्रम में ट्रैक्टर जिसका इंजन नम्बर CJ1354/PD003243 एवं चेचिस नम्बर MBNAK48ACPTD को गश्ती दल मानिकुई पुल के पहले बिना बैद्य ई-परिवहन चालान के परिवहन के जब्त कर सुरक्षार्थ कान्द्रा थाना में रखा गया है । (अनुलग्नक - A) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली 2017 के नियम 54(5) के तहत दण्ड शुल्क बालू लदे वाहन में 10,000/- रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401672313 dt 16.04.2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है । (अनुलग्नक - B) वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक - C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) ।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए ट्रैक्टर जिसका इंजन नम्बर CJ1354/PD003243 एवं चेचिस नम्बर MBNAK48ACPTD के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाषण


 दिनांक 23/04/24
 जिला खनन प्रदाधिकारी,
 सरायकेला-खरसावाँ ।


झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 360..... /एम०, दिनांक 30/04/2024....

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :- लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सुचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि थाना प्रभारी ईचागढ़ के ज्ञापांक 317/24 दिनांक 06/03/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.03.2024 को ईचागढ़ थाना पेट्रोलिंग पार्टी टीकर की जाने के दौरान परगना चौक के पास एक बालू लदे सोनालिका ब्लू रंग ट्रैक्टर DI-35 HDM इंजन नम्बर 3100FLU34J1362987F18 चेचिस संख्या - KZJSK1376608SM के चालक पुलिस टीम को देख कर ट्रैक्टर रोड किनारे छोड़ कर भाग गये । उक्त ट्रैक्टर को स्थानीय लोगों के मदद से निरुद्ध कर थाना में रखा गया है तथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। (अनुलग्नक - A) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत दण्ड शुल्क वालू लदे वाहन में 10,000/= रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401817830 dt 26/04/2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है। (अनुलग्नक - B) वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक - C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) ।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकुल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए सोनालिका ब्लू रंग ट्रैक्टर DI-35 HDM इंजन नम्बर 3100FLU34J1362987F18 चेचिस संख्या - KZJSK1376608SM के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजिन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

30/04/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक ...36/.... /एम०, दिनांक 30/04/2024.

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ट्रैक्टर जिसका चेचिस नम्बर BZJSH49654ISM इंजन नम्बर 3100FLU04A902849F18 को जब्त कर तिरुलडीह थाना परिसर में रखा गया है । अंचल अधिकारी, कुकडू के पत्रांक 881 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा प्रतिवेदित है कि ट्रैक्टर मालिक को आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुए विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है । (अनुलग्नक - A) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत दण्ड शुल्क वानू लदे वाहन में 10,000/= रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401817864 dt 26.04.2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है । (अनुलग्नक - B) वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक - C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) ।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए ट्रैक्टर जिसका चेचिस नम्बर BZJSH49654ISM इंजन नम्बर 3100FLU04A902849F18 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

30/04/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक .374.... /एम०, दिनांक 02/05/2024....

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :- लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक 1179 चाण्डिल, दिनांक 18/11/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना प्रभारी चौका द्वारा दिनांक 17/11/2023 को गश्ती के क्रम में चौका थाना अन्तर्गत रोयाडीह से होते हुए दुबराजपुर जाने वाले सड़क में ट्रैक्टरों द्वारा अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रैक्टर के बालक पुलिस की गाड़ी को देख कर लदा ट्रैक्टर छोड़कर भाग गये उक्त दोनों ट्रैक्टर को निरूद्ध कर थाना में रखा गया है तथा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। (अनुलग्नक - A) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत दण्ड शुल्क बालू लदे वाहन में 10,000/= रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401878614 dt 30/04/2024 तथा 10,000/= रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401878644 dt 30/04/2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है। (अनुलग्नक - B) वाहन मालिकों द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक - C) एवं वाहनों को विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) ।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए ब्लू रंग का DI35 सोनालिका ट्रैक्टर जिसका इंजन नम्बर 3100FLU34A1254425F18 चेचिस संख्या - BZJSK12672 एवं लाल रंग का महिन्द्रा ट्रैक्टर जिसका इंजन नम्बर RKG2DBN9225 के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

02/05/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक ११५५... /एम०, दिनांक ०२/०५/२०२४...

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :- लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि थाना प्रभारी, ईचागढ़ थाना के जापांक 345/24 दिनांक 14/03/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 15/09/2023 को ईचागढ़ थाना पेट्रोलिंग पार्टी पातकुम की ओर जा रही थी, जिस दौरान एक बालू लदे सोनालिका ब्लू रंग ट्रैक्टर DI-35 HDM SI इंजन नम्बर 3100FLU14B1081441F18 चेचिस संख्या - EZJSR1087415S3 के चालक पुलिस टीम को देख कर भाग गये जिससे प्रतित होता है कि उक्त ट्रैक्टर में लदा बालू अवैध है। उक्त ट्रैक्टर को स्थानीय लोगों के मदद से थाना पर निरूद्ध कर रखा गया है तथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। (अनुलग्नक - A) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत दण्ड शुल्क बालू लदे वाहन में 60,000/- रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401877773 dt 30/04/2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है। (अनुलग्नक - B) वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त वंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D)।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए सोनालिका ब्लू रंग ट्रैक्टर DI - 35 HDM SI इंजन नम्बर 3100FLU14B1081441F18 चेचिस संख्या - EZJSR1087415S3 के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाज्य

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

02/05/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 408..... /एम०, दिनांक 09/05/2024....

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

मानशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, चाण्डल के पत्रांक 220, चाण्डल, दिनांक 09/03/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना प्रभारी चौका के पत्रांक 208/2024 दिनांक 07/03/2024 जब्त किये गये हाईवा संख्या BR06GE - 8967 को चौका थाना परिसर में रखा गया है। (अनुलग्नक - A) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत दण्ड शुल्क बालू लदे वाहन में 50,000/= रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2402007409 dt 08/05/2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है। (अनुलग्नक - B) वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त वंघपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D)।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में अर्णित है कि नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए हाईवा संख्या BR06GE - 8967 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

09/05/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
 पत्रांक ...११११.../एम०, दिनांक ...२०/०५/२०२४....

प्रेषक.

जिला खनन पदाधिकारी
 सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में.

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
 व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली २००४ (यथा संशोधित) के नियम ५४(५) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

मसलसय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि थाना प्रभारी, आदित्यपुर के जापांक १०६४२४ दिनांक ०९/०५/२०२४ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक ०९/०५/२०२४ को आदित्यपुर थाना अन्तर्गत आदित्यपुर कान्द्रा मुख्य सड़क सापडा मोड के पास बालू लदा हुआ एक छोटा ४०७ वाहन संख्या JH०५B४-३९२९ को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया है (अनुलग्नक - A) । झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली २००४ (यथा संशोधित) के नियम ५४(५) के तहत बालू लदे वाहन के वास्तु दण्ड शुल्क १५०००.०० रूपये (Amount - १०,००० = रूपये, GRN No २४०२१६०९८७ dt १८.०५.२०२४ & Amount - ५,००० = रूपये, GRN No २४०२१६२५१६ dt १८.०५.२०२४) के द्वारा जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक - B) । वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली २००४ (यथा संशोधित) के नियम ५४(५) में वर्णित है कि "नियम ५४(५) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी को दिया जाय" ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली २००४ (यथा संशोधित) के नियम ५४(५) के तहत विमुक्त किए गए एक छोटा ४०७ वाहन संख्या JH०५B४-३९२९ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
 सरायकेला-खरसावाँ ।

२०/०५/२०२४

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 505...../एम०, दिनांक 02/06/2024....

प्रेषक, जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में, मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :- लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि थाना प्रभारी, सरायकेला, DR - 4130/23 dated 07.08.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 07.08.2023 को जप्त कर सुरक्षित अभिरक्षण में रखे गये ट्रैक्टर जिसका चेचिस नम्बर GYASR105594453 इंजन नम्बर 3100FLU14D1050102F 18 - DI 35 HDM (JH06Q - 8226) सुरक्षित अभिरक्षण में रखे गया है (अनुलग्नक - A)। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत बालू लदे वाहन के बावत दण्ड शुल्क 60,000/- रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2402161101 dt 18.05.2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक - B)। वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि "नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन / अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय" ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए ट्रैक्टर जिसका चेचिस नम्बर GYASR105594453 इंजन नम्बर 3100FLU14D1050102F 18 - DI 35 HDM (JH06Q - 8226) के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाषण

(Signature)
13.16.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

(Signature)
02/06/2024

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 6.44...../एम०, दिनांक 02/07/2024

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक 619, चाण्डिल, दिनांक 29/06/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना प्रभारी चौका के जापांक 497/2024 दिनांक 26/06/2024 के द्वारा जप्त किये गाडी संख्या JH05BE - 0648 (500 CR वालू लोड) को Checking के दौरान निरूद्ध किया गया है (अनुलग्नक - A)। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत वालू लदे वाहन के वावत दण्ड शुल्क 15,000/= (पन्द्रह हजार) रूपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2402872656 dt 02/07/2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक - B)। वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि "नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन/अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय" ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए गाडी संख्या JH05BE - 0648 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(Signature)
02.07.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

(Signature)
02/07/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक .65.2.../एम०, दिनांक ०४/०७/२०२४.

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, ईचागढ़ के पत्रांक 644, दिनांक 04/07/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना दल के साथ संयुक्त छापेमारी के क्रम में दिनांक 03/07/2024 को अपराह्न 3:00 बजे टोला दुबराजपुर, ग्राम - टिकर के पथ पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़कर थाना प्रभारी, ईचागढ़ के अभिरक्षण में रखी गयी है (अनुलग्नक - A)। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत बालू लदे वाहन के वास्तु दण्ड शुल्क 3.000/= (तीन हजार) रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2402914077 dt 04/07/2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक - B)। वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि "नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन/अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय" ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए सोनालिका ट्रैक्टर जिसका इंजन नम्बर 3100FLU34B1272753A18 चेचिस संख्या - MZJSK1283894SM के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

04/07/2024

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 709...../एम०, दिनांक 13/07/2024....

पत्रक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

स. न. में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में ।

मानशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा दिनांक 12.07.2024 को जव्व कर साहेवगंज ग्राम में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़कर थाना प्रभारी, सरायकेला के अभिरक्षण में रखी गयी है (अनुलग्नक - A)। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत बालू लदे वाहन के वायत दण्ड शुल्क 3,000 - (तीन हजार) रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2403074643 dt 12.07.2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक - B)। वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि "नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन/अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय" ।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए महिन्द्रा ट्रैक्टर जिसका चेचिस नम्बर MIBNTEFAVA7PRC00271 इंजन नम्बर 13BA0999 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

13/07/24

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 720.../एम०, दिनांक 16/07/2024...

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सूचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि थाना प्रभारी, ईचागढ़ के जापांक 852/24 दिनांक 15/07/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 15/07/2024 को जक्त कर ईचागढ़ थाना पेट्रोलिंग पार्टी टिकर की ओर जा रही थी, जिस दौरान परगना चौक के पास एक बालू लदे ट्रैक्टर के चालक पुलिस टीम को देखकर ट्रैक्टर को रोड किनारे छोड़कर भाग गये, उक्त ट्रैक्टर को सुरक्षित अभिरक्षण में रखी गयी है (अनुलग्नक - A)। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत बालू लदे वाहन के बावत दण्ड शुल्क 3,000/- (तीन हजार) रुपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2403143458 dt 16.07.2024 के द्वारा जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक - B)। वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त वंधपत्र (अनुलग्नक-C) एवं वाहन का विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र (अनुलग्नक - D) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) में वर्णित है कि "नियम 54(5) के अन्तर्गत विमुक्त वाहन/अवैध परिवहन कर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी को दिया जाय"।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत विमुक्त किए गए ट्रैक्टर वाहन संख्या - JH05CH--0615 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

Lalit

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक ...३९१/.... /एम०, दिनांक .15/04/2024....

प्रेषक,

जिला खनन प्रदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला ।

विषय :-

लघु खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(5) के तहत सुचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि :-

1. अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 284 दिनांक 11/03/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 11/03/2024 को एक ट्रैक्टर वाहन संख्या - JH05BZ-6649, ट्रॉली संख्या JH05BZ-9240 चेचिस संख्या - SAW00678 को रोककर वाहन चालक से वाहन पर लदे खनिज का परिवहन चालान की माँग किया गया। वाहन चालक द्वारा चालान नहीं दिखाये जाने पर खनिज लदे वाहन को सुरक्षार्थ आदित्यपुर थाना प्रभारी को सुपूर्द किया गया।
2. अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 353 दिनांक 06/03/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.03.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हाईवा वाहन संख्या - JH05DB-8362 को रोककर वाहन चालक से वाहन पर लदे खनिज का परिवहन चालान की माँग किया गया। वाहन चालक द्वारा चालान नहीं दिखाये जाने पर खनिज लदे वाहन को सुरक्षार्थ सरायकेला थाना प्रभारी को सुपूर्द किया गया।
3. अंचल अधिकारी, चाण्डल के पत्रांक 220 दिनांक 09/03/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 07.03.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हाईवा वाहन संख्या - JH24F-5631 को रोककर वाहन चालक से वाहन पर लदे खनिज का परिवहन चालान की माँग किया गया। वाहन चालक द्वारा चालान नहीं दिखाये जाने पर खनिज लदे वाहन को सुरक्षार्थ थाना प्रभारी, चौका को सुपूर्द किया गया।
4. अद्वोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 04.04.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हाईवा वाहन संख्या - JH05CA-2044 को रोककर उसके चालक से वाहन पर लदे खनिज का परिवहन चालान की माँग किया गया। वाहन चालक द्वारा चालान नहीं दिखाये जाने पर खनिज लदे वाहन को सुरक्षार्थ थाना प्रभारी, चौका को सुपूर्द किया गया। (अनुलग्नक - A)

वालू एवं स्टोन चिप्स लघु खनिज की श्रेणी में आता है। बिना परिवहन चालान के खनिज का परिवहन झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 एवं The Jharkhand Mineral (Prevention Illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 7 एवं 11 का उल्लंघन है जो दण्डनीय है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 (5) (अनुलग्नक - B) के तहत दण्ड शुल्क खनिज लदे वाहनों एवं भुगतान शुल्क का विवरणी निम्नलिखित है :-

/

क	खनिज का नाम	वाहन संख्या	वाहन मालिक का नाम	जूरमाना राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वालू	JH05BZ - 6649, ट्रॉली संख्या JH05BZ - 9240	श्री उत्तम कुमार पाल, पिता स्व० बुकेश्वर पाल, पता - बडा गम्हरिया, पो० - गम्हरिया, थाना - आदित्यपुर, जिला - सरायकेला-खरसावाँ	10,000/= रूपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401647547 dt 15.04.2024	
2	पत्थर	JH05DB - 8362	श्री बलदेव मण्डल, पिता स्व० भरत मण्डल, ग्राम - छोटाकांकी, पो० + थाना - राजनगर, जिला - सरायकेला-खरसावाँ	50,000/= रूपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401649755 dt 15.04.2024	
3	वालू	JH24F - 5631	श्री विनायक कुमार पाण्डे, पिता स्व० विजयानन्द पाण्डे, पता रामनगर, कदमा, पो० - सोनारी, जिला - पूर्वी सिंहभूम	50,000/= रूपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401647810 dt 15.04.2024	
4	वालू	JH05CA - 2044	श्री जयदेव साव, पिता स्व० नन्दलाल साव, ग्राम + पो० - खुटी, थाना - चौका, जिला - सरायकेला-खरसावा	50,000/= रूपये ONLINE के माध्यम से GRN No 2401647689 dt 15.04.2024	

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(S) के तहत उपरोक्त वाहन मालिकों के द्वारा प्रदत्त बंधपत्र (अनुलग्नक - C) एवं वाहनों को (खनिज सहित) विमुक्त करने हेतु कार्यालय से निर्गत विमुक्त पत्र (अनुलग्नक - D) निर्गत किया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(S) के तहत उक्त वाहन के मालिकों तथा चालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को सानुलग्नक सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

15.04.2024

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

15/04/24